पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 486/2024

थाना कांड संख्या-122 वर्ष-2018 थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चंपारण से उत्पन्न

==========

राजेंद्र साह, पिता स्वर्गीय कमल साह, निवास- ग्राम-परेई, थाना-शिकारगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

... ...**अपीलकर्ता/ओं**

बनाम

1. बिहार राज्य
2. कैलाश प्रसाद, पिता स्वर्गीय हजारी राय, गांव-पारेई, थाना-शिकारगंज, जिला-पूर्वी चंपारण
3. महेश तिवारी, पिता देवेंद्र तिवारी, निवास- गांव-पारेई, थाना-शिकारगंज, जिला-पूर्वी चंपारण।
4. प्रवीण कुमार, पिता कैलाश प्रसाद यादव, गाँव-पारेई, थाना-शिकारगंज, जिला-पूर्वी चंपारण

... ...**प्रतिवादी/ओं**

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए	:	श्री मधुरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता,
प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता:	:	श्री आदर्श रंजन, अधिवक्ता
		श्री प्रीतिश रंजन, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री बिनोद बिहारी सिंह, अ.लो.अ

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 378—निर्वासन के खिलाफ अपील—कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है जो कथित घटना का गवाह बने—पार्टीयों के बीच भूमि विवाद के कारण मामला और प्रतिवादी मामला—दो अलग लेकिन बाद की घटनाओं के लिए, एक प्राथमिकी दर्ज की गई—पहली घटना में, आवेदक से फिरौती मांगी गई, जिसका इनकार करने पर प्रतिवादियों ने आवेदक पर हमला किया, दूसरी घटना में आवेदक के परिवार के सदस्यों पर प्रतिवादियों ने हमला किया—अभियोजन गवाहों से यह स्पष्ट होता है कि गवाह या तो स्वार्थी हैं या परिवार के सदस्य हैं या अभियुक्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं—संपूर्ण अभियोजन गवाहों के साक्ष्य की करीबी और सावधानीपूर्वक छानबीन के बाद, यह स्पष्ट और स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि घटना के तरीके और स्थान के संदर्भ में, अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में बहुत अधिक अलंकरण, अतिशयोक्ति और महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं और सभी ऊपर

बताए गए अलंकरण और अतिशयोक्तिपूर्ण साक्ष्य निश्चित रूप से अभियोजन मामले के खिलाफ जाएगा—इसलिए, माननीय ट्रायल कोर्ट ने सही तरीके से अभियुक्तों को सही ढंग से बरी किया है क्योंकि मामला सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं हुआ है—अपीलित निर्णय को बरकरार रखा गया और अपील को खारिज कर दिया गया।

(पैराग्राफ 13, 33, 34, 52, 53 और 54)

*(2023) 9 एसएससी 581— **निर्भर किया गया** ।*

अपराधी परीक्षण—स्वतंत्र गवाह—जहां कोई स्वतंत्र आंख का गवाह नहीं है या परीक्षण किए गए गवाहों में से कोई भी इच्छुक गवाह है या पक्षों के बीच कोई पूर्व विवाद है, वहां अभियोजन गवाहों के सबूत को अत्यधिक सावधानी और ध्यान के साथ मूल्यांकित या परखा जाना चाहिए।

(पैरा 14)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.प्रसाद सिंह

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति एस.बी.प्रसाद सिंह)

तारीखः 28-02-2025

वर्तमान अपील, चिरैया (शिकारगंज) थाना केस संख्या 122/2018 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 477/2018, (सीआईएस संख्या 477/2018) में विद्वान 21वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण द्वारा दिनांक 20.02.2024 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करने के लिए प्रस्तुत की गई है। अपील के तहत निर्णय द्वारा, अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 से 4, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 307/149, 504, 506, 147, 148, 341, 325 के तहत आरोपों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे थे, को दोषमुक्त कर दिया गया है।

2. सूचक राजेंद्र साह द्वारा दिनांक 11.04.2018 को पुलिस कैम्प, सदर अस्पताल मोतिहारी में दर्ज कराए गए लिखित आवेदन (एफ.आई.आर.) के अनुसार

अभियोजन का मामला यह है कि वे भैंस की खरीद-बिक्री का काम करते हैं। दिनांक 10.04.2018 को प्रातः वे चाय पीने के लिए शिकारगंज स्थित रामाज्ञा साह की दुकान पर गए थे, इसी बीच उनके सहग्रामीण नवीन कुमार एवं प्रवीण कुमार *लाठी-डंडा* लेकर वहां पहुंचे और रंगदारी (फिरौती) की मांग करने लगे और जब सूचक ने रंगदारी देने से इंकार किया तो दोनों अभियुक्तगण गाली-गलौज करते हुए *लाठी-डंडा* से मारपीट करने लगे, जिससे सूचक का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया और वे गिर पड़े, इसी बीच प्रवीण कुमार ने उनके पॉकेट से 60,000/- रुपए निकाल लिए और उन्हें घायल अवस्था में घटनास्थल पर छोड़कर अभियुक्तगण भाग गए। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि जब सूचक के परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो वे घटनास्थल पर गए, लेकिन रास्ते में नहर पुल के पास सभी नामजद अभियुक्तों ने उन्हें घेर लिया और महेश तिवारी के आदेश पर सूचक के परिजनों और रामबाबू साह पर *लाठी-डंडा* से हमला करना शुरू कर दिया। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि लखन राय, किशोरी राय, दरेश राय, मंगेश कुमार और कैलाश प्रसाद यादव ने रामबाबू साह पर जान मारने की नीयत से *लाठी, डंडा* और रॉड से हमला किया, जिससे उनके सिर पर चोट आई और खून बहने लगा। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि नवीन कुमार, प्रवीण कुमार और लखन राय ने जवाहर सिंह पर *लाठी* से हमला किया, जिससे उनके सिर पर दो जगह चोट आई और दाहिने पैर में भी चोट आई। यह भी आरोप है कि दारेश प्रसाद यादव ने सोनू साह के सिर पर लाठी से हमला किया जिससे वह कट गया तथा मंगेश कुमार ने रामदुलारी देवी को जान से मारने की नीयत से *लाठी* से हमला किया लेकिन *लाठी* रामदुलारी देवी के बाएं हाथ में लगी तथा अमित कुमार ने नलकटुवा से सोनू साह पर गोली चलाई लेकिन गोली चूक गई तथा संतोष प्रसाद यादव ने रामदुलारी देवी के कान से 30,000/- रुपये मूल्य की बाली छीन ली तथा सभी आरोपी भाग गए। इसके बाद सूचक और अन्य घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ढाका लाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल, मोतिहारी रेफर कर दिया गया, लेकिन जवाहर साह और रामबाबू साह की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रहमानिया नर्सिंग होम, मोतिहारी रेफर कर दिया गया।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने चिरैया (शिकारगंज) थाना कांड संख्या 122/2018 दिनांक 14.04.2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 341, 325, 307, 379, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया।

4. जाँच पूरी होने के बाद, अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों के खिलाफ दो अलग-अलग आरोप पत्रों द्वारा आरोप पत्र दायर किए गए, एक उत्तरदाताओं कैलाश प्रसाद यादव और महेश तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,341,323,325,307,504 के तहत और दूसरा उत्तरदाता प्रवीण कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,341,323,325,307,504,506,34 के तहत।

5. आरोप पत्र और केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विद्वान ए.सी.जे.एम., मोतिहारी, पूर्वी चंपारण ने दिनांक 21.06.2018 को आरोप पत्र में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325, 307, 504, 506, 34 के अंतर्गत संज्ञान लिया और दिनांक 05.07.2018 को मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

6. संज्ञान लेने के पश्चात दोनों मामलों को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। सुनवाई के दौरान वर्तमान मामले से संबंधित एक ही चिरैया (शिकारगंज) थाना कांड संख्या 122/2018 से उत्पन्न दोनों मामलों अर्थात सत्र परीक्षण संख्या 477/2018 और सत्र परीक्षण संख्या 610/2018 को दिनांक 14.12.2018 के आदेश द्वारा समामेलित कर दिया गया।

7. सुनवाई पूरी होने के बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों/प्रतिवादियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। उक्त फैसले से व्यथित और असंतुष्ट होकर सूचक द्वारा वर्तमान अपील पेश की गई है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि बेशक जबरन वसूली की मांग की गई थी और इसे पूरा न करने के कारण प्रतिवादी पक्ष द्वारा सूचक और अन्य लोगों पर बुरी तरह से हमला किया गया। पूरी घटना को पी.डब्लू. 1 से 9,

विशेष रूप से, पी.डब्लू. 2, 4, 5 और 9 ने देखा था जो घायल हैं और कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट ने बिना कोई ठोस कारण बताए उनके साक्ष्यों पर भरोसा नहीं किया। वर्तमान मामला सूचक के स्वयं के बयान पर आधारित है जो उसने एफआईआर के रूप में दिया था और वही अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त है। ट्रायल कोर्ट ने पी.डब्लू. 12 के साक्ष्य पर भी विचार नहीं किया है, जो मामले का जांच अधिकारी है। उसने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के बयान का पूरी तरह से समर्थन किया है। चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले में पूरी तरह से सहायक है और सूचना देने वाले पक्ष की चोट रिपोर्ट में दिए गए चिकित्सा निष्कर्ष भी एफआईआर में वर्णित हमले के तरीके को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा इसका उचित तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया।

9. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। घटना के स्थान और घटना के तरीके पर एक बड़ा विरोधाभास है और गवाहों ने स्वीकार किया है कि पहले से ही पक्षों के बीच दुश्मनी है। अभियोजन पक्ष उस उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है जो इस मामले में आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, निचली अदालत ने सभी साक्ष्यों की उचित रूप से सराहना की है और प्रतिवादियों को बरी करने में सही निष्कर्ष पर पहुंचा है।

10. प्रतिद्वंद्वी दलीलों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:.

(i) क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों (प्रत्यर्थियों) के विरुद्ध अपने मामले को विचारण न्यायालय के समक्ष सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम रहा है या नहीं?

(ii) क्या दोषमुक्ति का विवादित निर्णय कानून की दृष्टि में टिकाऊ और मान्य है या इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

11. अपीलकर्ता, प्रतिवादियों और राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक के वकील को सुना गया और मामले के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया।

12. सितंबर, 2023 के विवादित फैसले के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में आरोपी (प्रतिवादी संख्या 2 से 4) पर 2018 के चिरैया (शिकारगंज) पी. एस. मामला संख्या 122 से उत्पन्न भारतीय दंड संहिता की धारा 147,149,323,341,325,307,379,504,506 के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया है।

13. सबसे पहले, यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं है। सभी गैर-सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाह या तो परिवार के सदस्य हैं या फिर अभियुक्तों के साथ दुश्मनी रखते हैं। यह भी स्वीकार किया जाता है कि भूमि विवाद के कारण पक्षों के बीच केस-काउंटर केस चल रहा है।

14. अतः इस मामले को देखते हुए यह स्थापित कानून है कि जहां कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है या जिन गवाहों की जांच की गई है वे इच्छुक गवाह हैं या पक्षों के बीच कोई पूर्व विवाद है, वहां अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन या जांच अत्यंत सावधानी और सतर्कता से की जानी चाहिए।

15. उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, हम अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं।

16. एफ.आई.आर. के अनुसार, दो प्रकार की घटनाएँ हैं, पहली घटना 10.04.2018 को सुबह रामाज्ञा साह (पी.डब्लू. 8) की चाय की दुकान पर हुई और दूसरी घटना उसी दिन सूचनाकर्ता के गाँव के पास नहर पुल पर हुई।

17. सूचक/घायल के लिखित आवेदन के अनुसार, जो वर्तमान प्राथमिकी का आधार है, पहली घटना दिनांक 10.04.2018 को सुबह में हुई, जब सूचक/घायल राजेंद्र साह रामाज्ञा साह की चाय दुकान पर पहुंचे, जहां उनके दो ग्रामीण नवीन

कुमार और प्रवीण कुमार वहां आए और फिरौती की रकम देने से इनकार करने पर *लाठी* और *डंडा* से हमला कर दिया। यह भी आरोप है कि उपरोक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा की गई मारपीट के कारण सूचक का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया और वह घायल हो गए तथा अभियुक्त प्रवीण कुमार ने उनकी जेब से 60,000/- रुपये निकाल लिए।

18. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल मिलाकर नौ गैर-सरकारी गवाहों से पूछताछ की गई है और नौ गैर-सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों में से केवल पीडब्लू 3, पीडब्लू 7, पीडब्लू 8 और पीडब्लू 9 (मुखबिर-घायल) ने कथित घटना के बारे में कुछ तथ्य बताए हैं। बाकी गवाह यानी पीडब्लू 1,2,4,5 और 6 पहली घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं।

19. पी.डब्लू. 1 मनोज कुमार ने पैरा-4 में अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह प्रथम घटना के समय उपस्थित नहीं था। प्रथम घटना के संबंध में उसे सुबह 6:00 बजे घायल राजेंद्र साह की पत्नी ने सूचना दी थी। पी.डब्लू. 2, 4, 5 और 6 द्वितीय घटना के घायल हैं जो प्रथम घटना के बाद सूचनाकर्ता (पी.डब्लू. 9) से मिलने जा रहे थे।

20. पी. डब्ल्यू. 3 सुरेन्द्र राय ने अपने मुख्य परीक्षण में पैरा-1 में यह बयान दिया है कि कथित घटना दिनांक एवं समय पर वह भी रामाज्ञा साह (पी. डब्ल्यू. 8) की चाय दुकान पर चाय पीने गया था, जहां राजेन्द्र साह (सूचक) भी चाय पी रहा था। इसी दौरान कैलाश यादव, नवीन कुमार, प्रवीण कुमार एवं अमित कुमार, इन चारों व्यक्तियों ने सूचक से विवाद किया तथा उसके साथ मारपीट की। उसने यह भी बयान दिया है कि रॉड से लैस कैलाश राय, *लाठी* से लैस नवीन, प्रवीण एवं अमित ने सूचक पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया तथा उसका हाथ टूट गया तथा शरीर सूज गया। इसके बाद प्रवीण ने घायल सूचक राजेन्द्र साह की जेब से 60,000/- रूपये निकाल लिये।

21. इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि घायल (सूचक) ने न तो अपने एफ.आई.आर. में कैलाश यादव और अमित कुमार का नाम लिया है और न ही

अपने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 9 के रूप में आरोप लगाया है। इसलिए, पहली घटना में दो और अभियुक्त व्यक्तियों (कैलाश यादव और अमित कुमार) की संलिप्तता के संबंध में अत्यधिक अतिरंजित है और पीडब्लू 3 के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि घटना का तरीका बदल दिया गया है।

22. इसके अलावा पैरा-3 में इस पी.डब्लू. 3 ने यह बयान दिया है कि आरोपी कैलाश राय ने भी उसके खिलाफ एक मामला दर्ज कराया है जो ए.सी.जे.एम, ढाका में लंबित है और उसने भी कैलाश राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

23. उपरोक्त तथ्य से पता चलता है कि पीडब्लू 3 के आरोपी कैलाश राय के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे और कैलाश राय के साथ मामला निपटाने के लिए उसने उसे (कैलाश राय) इस मामले में झूठा फंसाया है।

24. पी. डब्ल्यू. 3 ने पैरा-10 में आगे कहा है कि जब वह चाय की दुकान पर पहुँचा तो राजेंद्र साह (सूचक) पहले से चाय ले रहा था। उन्होंने आगे कहा कि वह 20 मिनट तक वहाँ रहे और उस दौरान वहाँ कोई नहीं आया और केवल वे (पीडब्लू 3), राजेंद्र साह (सूचक) और चाय की दुकान के मालिक वहाँ थे। इसलिए, यह तथ्य यह दर्शाता है कि उसने कथित घटना को नहीं देखा है, अन्यथा वह अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में कह सकता था।

25. पी. डब्ल्यू. 7 मुख्तार साह ने अपने मुख्य परीक्षण में पैरा-1 में यह बयान दिया है कि सूचना मिलने पर कि अभियुक्त कैलाश यादव, प्रवीण आदि उसके भाई राजेंद्र साह (सूचक) पर हमला कर रहे हैं, वह रामाज्ञा साह (पी. डब्ल्यू. 8) की चाय दुकान पर आया था। अपने पूरे मुख्य परीक्षण में उसने नवीन कुमार का नाम नहीं लिया है जिसका नाम कथित तौर पर सूचक (पी. डब्ल्यू. 9) ने लिया है, जबकि इस साक्षी ने दूसरे अभियुक्त कैलाश यादव का नाम लिया है जिसका नाम सूचक ने अभियुक्त के रूप में नहीं लिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अपने साक्ष्य में घटना के तरीके को बदल दिया है।

26. इसके अलावा पी. डब्ल्यू. 7 ने पैरा-3 में अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे घटना के 10 मिनट बाद रामग्या साह (पी. डब्ल्यू. 8) की दुकान पर किए जा रहे हमले के बारे में जानकारी मिली और जब वह वहां पहुंचा तो चाय की दुकान पर बहुत भीड़ थी। इसलिए, इस गवाह के साक्ष्य से पता चलता है कि वह कथित घटना के समय मौजूद नहीं था।

27. पी.डब्लू. 8 रामाज्ञा साह चाय की दुकान के मालिक हैं, जहां पहली घटना घटित होने का आरोप है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना की कथित तिथि और समय पर जब राजेंद्र साह चाय पीने के लिए उनकी चाय की दुकान पर आए, तो कैलाश यादव के पुत्र नवीन, अमित और एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम याद नहीं है, *लाठी, डंडा* और रॉड से लैस होकर वहां पहुंचे और राजेंद्र साह (सूचनाकर्ता) के घर में घुसकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजेंद्र साह को घर से बाहर खींचकर नीचे फेंक दिया और उन पर हमला किया। इस प्रकार, इस गवाह (पी.डब्लू. 8) के साक्ष्य के अनुसार, पहली घटना में तीन आरोपी व्यक्ति शामिल थे, अर्थात् नवीन, अमित और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम उन्हें याद नहीं है। इस प्रकार, इस गवाह (पी.डब्लू. 8) के साक्ष्य ने एफ.आई.आर. में सूचनाकर्ता (पी.डब्लू. 9) द्वारा आरोपित घटना के तरीके को बदल दिया है।

28. पी. डब्ल्यू. 8 ने पैरा-3 में अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा है कि राजेंद्र साह (मुखबिर) संबंध में उसका भाई है और अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर उस पर हमला किया और हमले के समय वह घर के अंदर नहीं गया। इसलिए, इस तथ्य ने घटना के स्थान को भी बदल दिया। उन्होंने पैरा-4 में यह भी कहा है कि सूचना देने वाले (पीडब्लू. 9) का दाहिना हाथ टूट गया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि उन पर *लाठी* से हमला किसने किया था। इस गवाह ने पैरा-6 में आगे कहा है कि वह यह नहीं कह सकता कि कैलाश यादव के तीनों बेटे किस हथियार से लैस थे। पैरा-5 में, इस गवाह ने गवाही दी है कि घटना के अंतिम

क्षण में, वह बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो सूचना देने वाला (पीडब्लू 9) वहाँ से चला गया था।

29. इसलिए, इस गवाह (पी.डब्लू. 8) के संपूर्ण साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि एफ.आई.आर. में आरोपित घटना का तरीका और स्थान पूरी तरह से बदल दिया गया है।

30. पी.डब्लू. 9 राजेंद्र साह, जो मामले के सूचक और घायल हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष की कहानी का कुछ हद तक समर्थन किया है, लेकिन अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-14 में उन्होंने यह बयान दिया है कि ढाका में किसी की भी जांच नहीं की गई थी और घायलों को मोतिहारी रेफर कर दिया गया था और सभी घायल लगभग 9:00 बजे मोतिहारी पहुंचे थे, जबकि शेष घायलों का इलाज उसी दिन रहमानिया अस्पताल में किया गया था। हालांकि, पी.डब्लू. 10 डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता, जो कि चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, ढाका के पद पर तैनात थे, ने बयान दिया है कि 10.04.2018 को उन्होंने राजेंद्र साह (पी.डब्लू. 9) के साथ-साथ अन्य घायलों की भी जांच की थी। उन्होंने घायल के शरीर पर पाए गए चोटों का विवरण भी दिया है। अब, घायलों ने यह बयान दिया है कि ढाका में किसी का इलाज नहीं हुआ, लेकिन ढाका रेफरल अस्पताल में कथित तिथि और समय पर तैनात चिकित्सा अधिकारी घायलों की चोट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए, इस तथ्यात्मक स्थिति में, दोनों साक्ष्यों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, या तो घायलों को लगी चोटें झूठी हैं या फिर चिकित्सा अधिकारी का साक्ष्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इलाज किया, झूठा है।

31. इसके अलावा, सूचक (पीडब्लू 9) ने पैरा-18 में बयान दिया है कि वह धारा 144 के तहत दर्ज मामले में पक्षकार नहीं है, लेकिन उसने स्वीकार किया है कि आरोपी व्यक्तियों और उसके सहयोगियों के बीच भूमि विवाद है। उन्होंने पैरा-19 में आगे कहा है कि उन्हें याद नहीं है कि उनका बयान जाँच अधिकारी द्वारा जाँच के दौरान दर्ज किया गया था या नहीं।

32. पी.डब्लू.10 डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता और पी.डब्लू.11 डॉ. अरसद कमाल ने सूचक के बाएं हाथ में चोट पाई है, जबकि पी.डब्लू.8 रामाज्ञा साह, जिनकी चाय की दुकान पर कथित घटना घटी थी, ने बयान दिया है कि सूचक राजेंद्र साह के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है।

33. पी.डब्लू. 12 कामेश्वर सिंह, जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं, ने पैरा-2 में यह बयान दिया है कि पहली घटना की सीमा में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष की कहानी के समर्थन में कोई भी बयान देने के लिए आगे नहीं आया है।

34. उपरोक्त तथ्यों और अभियोजन पक्ष के सभी चार गवाहों के साक्ष्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि गवाह या तो आरोपी व्यक्तियों के हितधारक हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं या उनके विरोधी हैं और उनमें इतने सारे विरोधाभास और अलंकरण हैं जो घटना के तरीके, घटना के स्थान और घटना की प्रकृति को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए, उनके साक्ष्यों पर सुरक्षित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है।

35. अब हम दूसरी घटना की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं जो कथित तौर पर सूचक के गांव के नहर पुल पर पहली घटना के तुरंत बाद हुई है।

36. नौ गैर-सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों में से पी. डब्ल्यू. 2,4,5 और 6 को दूसरी घटना में घायल बताया गया है।

37. पी.डब्लू.7 मुख्तार साह दूसरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि जब वह अपने भाई राजेंद्र साह (सूचनाकर्ता) के इलाज के लिए ढाका गया था, तो उसने सुना कि आरोपी व्यक्तियों लखन राय, हुलाश राय, किशोरी, मदन, विनोद ने उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी।

38. पी.डब्लू.8 रामाज्ञा साह भी दूसरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। उसने अपने जिरह में पैरा-8 में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह घटना को देख नहीं

सका और उसे उस व्यक्ति का नाम भी याद नहीं है जिसने उसे दूसरी घटना के बारे में बताया था। उसने यह भी नहीं देखा कि नहर पुल पर किसे चोटें आईं।

39. पी. डब्ल्यू. 9 राजेंद्र साह, जो पहली घटना के सूचना देने वाले और घायल हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में दूसरी घटना के बारे में विशेष रूप से नहीं बताया है। उन्होंने केवल यह बयान दिया है कि जब उनके परिवार के सदस्यों को उनकी घायल स्थिति के बारे में पता चला तो जवाहरलाल साह, यादोलाल साह, रामदुलारी, रामबाबू साह और सूरज साह घटना स्थल पर गए लेकिन रास्ते में आरोपी व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया। इसलिए, इस गवाह का साक्ष्य साबित करता है कि उसने दूसरी घटना नहीं देखी है।

40. हालाँकि, यह काफी आश्चर्य की बात है कि इस गवाह (पीडब्लू 9) ने एफ.आई.आर. में पूरे तथ्यों और दूसरी घटना के तरीके के बारे में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है, लेकिन उसने पीडब्लू 9 के रूप में अपने साक्ष्य में उक्त तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें दूसरी घटना के बारे में किससे जानकारी मिली।

41. एफ.आई.आर. के अनुसार, एफ.आई.आर. लिखने वाला व्यक्ति नवल किशोर साह है, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उसकी जांच नहीं की गई है।

42. दूसरी घटना के संबंध में, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के आधार पर घटना के तरीके की जांच करना आवश्यक है।

43. एफ.आई.आर. के अनुसार, दूसरी घटना में कुल 17 आरोपी शामिल थे, लेकिन पी.डब्लू. 1 (मनोज कुमार) ने कथित घटना में केवल 14 आरोपियों के खिलाफ गवाही दी है। उसने गवाही दी है कि आरोपियों ने उसके पिता जवाहर साह, भाई रामबाबू साह और सोनू कुमार के साथ मारपीट की और आरोपी संतोष कुमार ने उसकी मां (राम दुलारी देवी) के कान की बालियां छीन लीं और भाग गए। इसलिए, इस गवाह (पी.डब्लू. 1) के साक्ष्य के अनुसार, दूसरी घटना में केवल तीन लोगों को

चोटें आईं और उसकी मां (राम दुलारी देवी) को कोई चोट नहीं आई। हालांकि, पी.डब्लू. 1 की मां राम दुलारी देवी से पी.डब्लू. 4 के रूप में पूछताछ की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें भी चोटें आई हैं। अतः इस साक्षी (पी.डब्लू. 1) के साक्ष्य ने घटना के तरीके और घायल व्यक्तियों की संख्या को बदल दिया है, जैसा कि एफ.आई.आर. में आरोप लगाया गया था। इस साक्षी ने अपने जिरह में पैरा-28 में आगे यह भी कहा है कि विनोद प्रसाद यादव ने भी उसी दिन चिरैया थाने में सूचक पक्ष के विरुद्ध उसी घटना के लिए मामला दर्ज कराया था।

44. पी. डब्ल्यू. 2, जो रामबाबू साह हैं और इस मामले में घायल हैं, ने केवल नौ अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया है जो कथित दूसरी घटना में शामिल थे। उन्होंने किसी भी घायल को किसी भी आरोपी के खिलाफ हमले के विशिष्ट आरोप का कोई विवरण नहीं दिया है। इस गवाह ने यह भी बयान दिया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके खिलाफ 2018 का चिरैया पी.एस. मामला संख्या 123 भी दर्ज किया है, जिसमें वे जमानत पर हैं।

45. पी. डब्ल्यू. 4 राम दुलारी देवी ने अपने साक्ष्य में केवल छह अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया है जबकि पी. डब्ल्यू. 5 जवाहर साह ने केवल 16 अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया है और उन्होंने किसी भी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किसी पर किसी विशेष हमले का आरोप नहीं लगाया है।

46. पी.डब्लू. 6 सोनू कुमार भी घायलों में से एक है, जिसने केवल 16 आरोपियों के नाम बताए हैं। उसने अपनी जिरह के पैरा-4 में यह बयान दिया है कि वह मुखबिर (पी.डब्लू. 9) का भतीजा है।

47. पी.डब्लू. 1, 2, 4, 5 और 6 के साक्ष्यों से पता चलता है कि सभी ने दूसरी घटना में शामिल आरोपियों के नाम बताने के बारे में अलग-अलग बयान दिए हैं। इसलिए, उनके अपने साक्ष्य के अनुसार, घटना का तरीका बदल जाता है।

48. बहस के दौरान प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पी.डब्लू. 11 डॉ. अरसद कमाल जो सदर अस्पताल, मोतिहारी में चिकित्सा पदाधिकारी

के पद पर पदस्थापित थे, ने अपने साक्ष्य पैरा-5 में यह बयान दिया है कि दिनांक 10.04.2018 को घायलों में से एक रामबाबू साह को ढाका रेफरल अस्पताल से रेफर किया गया था तथा उसे सदर अस्पताल, मोतिहारी के आपातकालीन वार्ड संख्या 4159 में भर्ती कराया गया था तथा उसने सिर में दर्द की शिकायत की थी तथा खोपड़ी का एक्स-रे कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन मरीज को उसके परिजनों द्वारा उसी दिन बिना किसी उपचार तथा एक्स-रे के अस्पताल से ले जाया गया, तथापि, उक्त रामबाबू साह से मुकदमे के दौरान पी.डब्लू. 2 के रूप में पूछताछ की गई, जिसने यह बयान दिया है कि घटना के पश्चात वह उपचार के लिए ढाका रेफरल अस्पताल आया था तथा उसके पश्चात उसका उपचार मोतिहारी सदर अस्पताल में हुआ था। अतः अभियोजन पक्ष के दोनों गवाहों के साक्ष्य एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं।

49. इस संदर्भ में, पी.डब्लू. 10 (डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता) का साक्ष्य भी प्रासंगिक है, जिन्होंने अपने साक्ष्य के पैरा-4 में यह बयान दिया है कि 10.08.2018 को सुबह 6:45 बजे उन्होंने रामबाबू साह (पी.डब्लू. 2) की जांच की और उनके शरीर पर पाए गए चोटों का विवरण दिया। इसलिए, पी.डब्लू. 2, 10 और 11 के साक्ष्य एक दूसरे के विरोधाभासी हैं।

50. पी.डब्ल्यू. 2 रामबाबू साह ने पैरा-1 में यह भी कहा है कि दूसरी घटना में, उन्हें, सोनू, ज्वाला साह और ज्वाला साह की पत्नी को चोटें आई हैं, लेकिन इस मामले में न तो ज्वाला साह और न ही उनकी पत्नी की जांच की गई है और न ही दोनों घायलों की कोई चोट की रिपोर्ट पेश की गई है।

51. उपरोक्त सभी तथ्यों को देखने और सभी विरोधाभासी तथ्यों और अलंकरणों पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि एफ.आई.आर. में जो आरोप लगाया गया है, उससे घटना का तरीका और घटना की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है।

52. अतः अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के साक्ष्य की गहन एवं सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घटना के तरीके एवं स्थान के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में बहुत अधिक अलंकरण, अतिशयोक्ति एवं महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं तथा उपरोक्त सभी अलंकृत एवं अतिशयोक्तिपूर्ण साक्ष्य निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के विरुद्ध जाएंगे। अतः विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मामले को सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध न पाते हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया है।

53.*एच.डी. सुंदरा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य*, (*2023) 9 एस सी सी 581*, के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ '8.1' से '8.5' में व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए और हम उन्हें तत्काल संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:-

> *"8. इस अपील में, हमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सीआरपीसी") की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील का फैसला करते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विवादित फैसले की वैधता और वैधता पर विचार करने के लिए कहा गया है। धारा 378 सीआरपीसी के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:*
>
> *"8.1. अभियुक्त को बरी किए जाने से उसकी निर्दोषता की धारणा और मजबूत होती है।*
>
> *8.2. अपीलीय न्यायालय, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार है।*

8.3. अपीलीय न्यायालय को, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर निर्णय करते समय, साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जिसे रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर लिया जा सकता था।

8.4 यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता कि एक अन्य दृष्टिकोण भी संभव था और

8.5. अपीलीय न्यायालय केवल तभी बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे साबित हो गया था और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था। "

54. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से जो कुछ भी सामने आया है, हमें विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा रखे गए निर्णय से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता है। इसलिए, आरोपित निर्णय को बरकरार रखा जाता है और अपील को खारिज किया जाता है।

55. निर्णय की प्रति तत्काल संबंधित ट्रायल कोर्ट को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

56. एल.सी.आर. को तुरंत संबंधित निचली अदालत में वापस भेजा जाए।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(एस. बी. पी. सिंह, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।